न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–96 / 2015

उनवान –सरकार बनाम विसराम पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम बसईडांग तहसील बाडी जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय   दिनांक –19.02.2020

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री विसराम पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम बसईडांग तहसील बाडी जिला धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.10.2014 को पुराना बाडी बस स्टेण्ड धौलपुर पर चेंकिग के दौरान निरीक्षण करने पर पाया गया कि अभियुक्त / अप्रार्थी द्वारा मोटर साईकिल नम्बर आर जे 11 एसए 8678 पर लकडी की डलिया में रखे करीब 50 किलोग्राम खोआ आम जनता के विक्रय करने हेतु ले जाया रहा था। अभियुक्त से खाद्य अनुज्ञापत्र वर्ष 2014 दिखाने को कहा तो उसने अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया। उक्त खोआ में मिलावट का शक होने पर उक्त 50 किलोग्राम खोआ में से एक किलोग्राम खोआ वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त खोआ नमूना डी–718 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट एलएस / 1117 / एसीटी / 2014 / 1131 दिनांक 13.11.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खोआ सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त / अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त / अप्रार्थी बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं हुआ। अभियुक्त / अप्रार्थी के विरुद्व दिनांक 10.02.18 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस हेतु नियत किया गया। पैरोकार सरकार को बहस हेतु कई मौके दिये गये। दिनांक 22.1.2020 पैरोकार सरकार उपस्थित नहीं हुये तथा उनका बहस का मौका बंद किया गया तथा पत्रावली आदेश हेतु नियत की गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट एलएस / 1117 / एसीटी / 2014 / 1131 दिनांक 13.11.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खोआ सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। जिससे यह भलिभॉति सिद्व होता है कि अभियुक्त / अप्रार्थी द्वारा उक्त सबस्टैंडर्ड खोआ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अभियुक्त / अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड खोआ बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अभियुक्त / अप्रार्थी श्री विसराम पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम बसईडांग तहसील धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 10,000 / –रुपये (दस हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। अभियुक्त / अप्रार्थी श्री विसराम पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर

निवासी ग्राम बसईडांग तहसील धौलपुर जिला धौलपुर से उक्त जुर्माना राशि 10,000/–रू0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत वसूली हेतु तहसीलदार धौलपुर जिला धौलपुर को लिखा जावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)